UTTAR PRADESH POLICE
"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

****प्रेस नोट****

खेत में नरमुण्ड मिलने की सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण। अन्तर्जनपदीय गैंग के सरगना और 25000 के इनामिया समेत दो हत्यारे गिरफ्तार। नरमुण्ड से संबंधित मृतका का मोबाइल फोन,कंगन व अन्य सामान बरामद।

घटना की पृष्ठभूमिः-

दिनांक 10.10.2020 को मिथिलेश कुमार पुत्र रामसनेही निवासी टोडरपुर थाना चौबिया जनपद इटावा ने लिखित तहरीरी सूचना थाना भरथना जनपद इटावा में दी कि उनकी भाभी श्रीमती पूती देवी पत्नी स्व0. दिलाशाराम निवासी उपरोक्त हाल पता मोहल्ला कृष्णा नगर थाना भरथना को दिनांक 19.09.2020 को उनके मो0 नं0 7300954154 पर मोबाइल नंबर 9758812364 से फोन आया कि मैं विकास भवन का बाबू बोल रहा हूँ आप 4000-/ रुपये व आधार कार्ड व अन्य कागजात की फोटो प्रति व अपनी दो फोटो भिजवा दो। उपरोक्त व्यक्ति के बताये अनुसार श्रीमती पूती देवी 4000-/ रुपये व सभी कागजात लेकर सर्वेश कुमार पुत्र रामसनेही निवासी बरुआ नद्दी थानी किशनी जनपद मैनपुरी, सन्तोष कुमार पुत्र साहब सिंह निवासी नगला परसादी थाना बिधूना जनपद औरैया, के साथ दिनांक 20.09.2020 को चली गयीं। जिनका कोई पता नहीं चल रहा है। इस सम्बन्ध में थाना भरथना पर गुमशुदगी दर्ज करायी। इसी दौरान दिनांक 9/10.10.2020 की रात्रि में ग्राम बरुआ नद्दी में एक कटे सिर का कंकाल (मुण्डी) मिलने के सम्बन्ध में श्री मिथिलेश कुमार पुत्र रामसनेही निवासी टोडरपुर थाना चौबिया जनपद इटावा द्वारा उपरोक्त मुँडी उसकी भाभी पूती देवी की ही है के सम्बन्ध में थाना किशनी पर सर्वेश कुमार पुत्र रामसनेही निवासी बरुआ नद्दी थाना किशनी जनपद मैनपुरी व सन्तोष कुमार पुत्र साहब सिंह निवासी नगला परसादी थाना बिधूना जनपद औरैया के विरुध्द तहरीर दी, इसके आधार पर थाना किशनी में मु0अ0सं0 478/20 धारा 302/201भादवि पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वाट व सर्विलांस सहित पांच टीमों का गठन कर शीघ्र अनावरण तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।

खुलासे/पूछताछ का विवरणः-

आज दिनांक 26.10.2020 को मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बरुआ नद्दी में सिर के कंकाल (नरमुण्ड) मिलने के प्रकरण में नामित सर्वेश कुमार व सन्तोष कुमार उपरोक्त जिनकी पुलिस को तलाश है वो ग्राम बरुआ नद्दी में आम के पेड वाले खेत में बनी झोंपडी में छुपे

हुए हैं। उपरोक्त सूचना पर पुलिस टीमों द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर दबिश दी गयी तो दो व्यक्ति पुलिस को देखकर फायर करते हुए भागने लगे तो पुलिस टीम आवश्यक बल प्रयोग कर चारों तरफ से घेरकर दोनों को पकड लिया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर दोनों ने क्रमशःअपना नाम सर्वेश कुमार व सन्तोष कुमार उपरोक्त बताया।

अभियुक्त सर्वेश कुमार ने पूछताछ में बताया कि पूती देवी रिश्ते में मेरी दूर की चाची लगती हैं। इनके पति दिलासाराम करीब 6 साल पहले गुजर चुके हैं। ये अपने बच्चों रिषभ उम्र करीब 10 बर्ष और लकी करीब 7 बर्ष को पढ़ाने लिखाने के मकसद से करीब 3 वर्षों से कस्वा भरथना जनपद इटावा में रह रही थीं, मुझे मालूम था कि यह गरीब हैं और इन्हें रूपए और मकान की बहुत जरूरत है। इसी तरह मेरे सगे मामा संतोष यादव की पत्नी भी कई साल पहले गुज़र चुकी हैं। इनके बाल बच्चे नहीं हैं। इधर कई महीनों से ये अपनी शादी के लिए लड़की की तलाश में थे जोकि इनकी 45 साल उम्र होने के कारण मिल नहीं पा रही थी। मैं पूती देवी को बखूबी जानता हूँ इसलिए मैंने मामा संतोष के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इस प्लान के तहत पहले मैंने पूती देवी को अच्छी कॉलोनी में सरकारी आवास दिलाने का झाँसा दिया, फिर रूपया दिलाने का झाँसा दिया। पूती देवी अनपढ़ और सीधी सादी महिला होने के कारण मेरे जाल में पूरी तरह फँस गई। तय योजना के अनुसार दिनांक 20 सितम्बर 2020 को मैं और संतोष मामा मोटर साइकिल से पूती देवी के पास गए, और उनको आवास और नकद रूपये दिलवाने का झाँसा देकर, उससे 4000/-रु0, आधार कार्ड, दो फोटो ले लिए और साथ चलने को कहा। पूती देवी ने वैसा ही किया। उसके बाद मैं और संतोष मामा पूती देवी को लेकर सीधे अपने गाँव बरुआ नद्दी में अपने खेतों में स्थित सुनसान मड़इया पर लेकर आ गए। वहाँ पूती देवी रोने चिल्लाने लगी और कहा कि मुझे विकास भवन इटावा कह करके यह कहाँ लेकर आ गए। इस पर हमने बहुत मशक्कत से उसको चुप कराया। उसके बाद उसको कहा कि तुम्हारे पति जीवित नहीं हैं, और संतोष मामा की पत्नी मर चुकी हैं, इसलिए तुम और संतोष मामा शादी कर लो, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। इस पर पूती देवी एकदम भड़क गई और बोली की मेरे दो बेटे हैं, और मैं इस गंजे बूढ़े से शादी हरगिज नहीं कर सकती। तुमने मुझे ठगा है, मुझे धोखा दिया है, मैं पुलिस को यह सारी बात बताऊँगी, मुझे तुम लोग वापस भरथना मेरे किराए के मकान पर मेरे बच्चों के पास छोड़कर आओ। इतना सुनते ही मेरे दिमाग पर सनक सवार हो गई और मैंने श्रीमती पूती देवी को उठाकर खेत में पटक दिया। संतोष मामा ने कस कर पैर दबा लिया और मैंने उसका गला कस कर दबा दिया। कुछ देर में ही पूती देवी मर गई। फिर हम लोगों को उसकी लाश को ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगी। इस पर संतोष मामा ने कहा कि तुम इसके टुकड़े टुकड़े कर के खेतों में क्यों नहीं फेंक देते। उसके बाद मैंने और मामा ने मिलकर मरी हुई पूती देवी के शरीर पर से सभी आभूषण उतार लिए और उसके शरीर के कई टुकड़े कर के वहीं आसपास के खेतों में जगह जगह गाड़ दिए ताकि किसी

को भनक भी न लग सके। लेकिन जाने कैसे पूती देवी की खोपड़ी ज़मीन से ऊपर आ गई और पुलिस के हाथ लग गई। फिर, धीरे धीरे सारे मामले का खुलासा हो गया और हम लोगों की सारी योजना फेल हो गई।

इस उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 478/20 वर्तमान में धारा 420/366/302/201/404 भादवि में प्रचलित है।

पूछताछ से सम्बन्धित अन्य महत्तवपूर्ण विवरणः-

1.हत्यारा सर्वेश 5 मई 2020 को अपनी वृद्ध माँ को जलाकर मार चुका है क्योंकि माँ बार-बार इसकी हरकतों पर टोका टाकी करती थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में इस पर पूर्व में रुपया 25000-/ का ईनाम भी घोषित किया जा चुका है।

2.इसकी पत्नी, इसके तीन बच्चे और पिता रामसनेही लाल इसके कारनामों से तंग आ चुके थे तथा इससे कोई संबन्ध न रखने की बात कहते हैं।

3.यह अपराधी भोली भाली महिलाओं को सरकारी आवास, नकद रुपया आदि दिलाने का झाँसा देता है। फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर उनकी हत्या कर देता है तथा मृत शरीर के आभूषण आदि ले लेता है तथा साक्ष्य मिटाने के लिए लाश को छिपा देता है।

4.गिरफ्तार दोनों अपराधी रिश्ते में मामा-भाञ्जे हैं।

बरामदगी का विवरणः-

1. मृतका का एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग (कीपैड)
2. मृतका का आधार कार्ड
3. मृतका की इलाहाबाद बैंक की पासबुक
4 मृतका के दो अदद काँच के कडे
5. सर्वेश कुमार के पास से MTR M101का एक नीले रंग का कीपैड मोवाइल
6. सर्वेश कुमार के पास से ग्रीन बैरी सफेद रंग का कीपैड मोवाईस फोन
7. सन्तोष कुमार के पास से I TEL 130 का एक सफेद रंग का कीपैड मोवाइल
8. एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक खोखा दो जिन्दा कारतूस 315 बोर
9. सन्तोष कुमार के पास से I TEL गोल्डन ब्लू कीपैड मोवाइल

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

1. सर्वेश कुमार पुत्र रामसनेही निवासी बरुआ नद्दी थानी किशनी जनपद मैनपुरी

1. मु0अ0सं0 545/2007 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना सौरिख कन्नौज।
2. मु0अ0सं0 228/2020 धारा 304 भादवि थाना किशनी मैनपुरी।

3. मु0अ0सं0 309/2017 धारा 307/34 भादवि थाना सौरिख कन्नौज।
4. मु0अ0सं0 310/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सौरिख कन्नौज।
5. मु0अ0सं0 313/2017 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सौरिख कन्नौज।
6. मु0अ0सं0 315/2017 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/420 भादवि थाना सौरिख कन्नौज।
7. मु0अ0सं0 360/2012 धारा 302/376/404 भादवि थाना सौरिख कन्नौज।
8. मु0अ0सं0 310/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सौरिख कन्नौज।
9. मु0अ0सं0 478/20 धारा 302/201 भादवि थाना किशनी जनपद मैनपुरी।
10. मु0अ0सं0 479/20 धारा 307/34 भादवि थाना किशनी जनपद मैनपुरी।
11. मु0अ0सं0 480/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना किशनी जनपद मैनपुरी।

2. सन्तोष कुमार पुत्र साहब सिंह निवासी नगला परसादी थाना बिधूना जनपद औरैया

1. मु0अ0सं0 478/20 धारा 302/201 भादवि थाना किशनी जनपद मैनपुरी
2. मु0अ0सं0 479/20 धारा 307/34 भादवि थाना किशनी जनपद मैनपुरी।

❖ **गिरफ्तारी व पूछताछ करने वाली पुलिस टीमः-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अजीत कुमार थाना किशनी जनपद मैनपुरी
2. उ0 निरी0 श्री सुरेश चन्द्र शर्मा थानाध्यक्ष एलाऊ मैनपुरी
3. सर्विलांश प्रभारी उ0नि0 श्री जोगेन्द्र सिंह सर्विलांश टीम मैनपुरी
4. स्वाट प्रभारी उ0नि0 श्री राम नरेश स्वाट टीम मैनपुरी
5. वरिष्ठ उ0 निरी0 श्री जैकब फर्नांडिज थाना किशनी
6. उ0निरी0 श्री धर्मेन्द्र मलिक थाना किशनी
7. का01216 अमित चौहान सर्विलांश टीम मैनपुरी
8. का0690 धर्मेन्द्र सर्विलांश टीम मैनपुरी
9. का0128 राजवीर सर्विलांश टीम मैनपुरी
10. का0905 जोगेन्द्र सर्विलांश टीम मैनपुरी
11. का0499 रोबिन सर्विलांश टीम मैनपुरी
12. का0624 संदीप कुमार सर्विलांश टीम मैनपुरी
13. का080 हरेन्द्र सिंह सर्विलांश टीम मैनपुरी
14. का सोनू शर्मा थाना किशनी जनपद मैनपुरी
15. का रामबाबू थाना किशनी जनपद मैनपुरी

सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम हेतु ईनाम/प्रशस्ति पत्र की घोषणा

- **पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को 25000/- रूपये नगद ईनाम व प्रशस्ति पत्र दिया गया।**
- **उच्चाधिकारियों द्वारा इस सराहनीय कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।**